

No. 77/02/2017-Adm.1
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau

OFFICE ORDER NO. **374** OF 2018

SCO 28-31, Sector-17A,
Chandigarh-160017
Dated the **20** November 2018

Consequent upon the grant of 3rd financial upgradation under the Modified Assured Career Progression Scheme in pursuance of Department of Personnel and Training OM No.35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.05.2009 and Labour Bureau's Office Order No.343 of 2018 dated 17.10.2018 issued under File No.73/03/2013-Adm.1, Smt. Kanta Jannwal, Investigator Grade-II is granted 3rd MACP in the next higher Level (Level-8) in the Pay matrix w.e.f. the date of grant of MACP mentioned in the relevant column. The pay of Smt.Kanta Jannwal is hereby fixed in accordance with the FR 22(1)(a)(1) as under:-

S.No.	Name and designation	Date from which the 3rd MACP is granted	Date from which the pay is fixed under 3rd MACP	Existing pay in the Pay Matrix as on 31.06.2017 in Level 7	Pay fixed in the next same level-7 on grant of 3rd MACP w.e.f. 01.07.2017	Pay fixed in the next higher level (Level-8) on grant of 3rd MACP w.e.f. 01.07.2017		Remarks
						Date	Pay	
1.	Smt. Kanta Jannwal, Investigator Grade-II	01.07.2017	01.07.2017	Rs. 53600/- (Cell-7)	Rs. 55200/- (Cell-8) Annual Increment Rs. 56900/- (Cell-9) MACP Increment	01.01.2018 (Date of Increment)*	Rs. 58600/- (Cell-8)	Date of next increment 01.01.2019

- * Date of increment is in accordance with the Department of Expenditure OM No.4-21/2017-IC/E.III(A) dated 31.07.2018.
- The fixation of pay and payment of arrears arising thereof, if any, is subject to adjustment in the light of audit objections/errors that may come to notice later on.
 - There shall be no further fixation of pay at the time of their regular promotion if it is in the same grade pay as granted under MACPS/restructuring/up-gradation. However, at the time of actual promotion, if it happens to be post carrying higher grade pay than what is available under upgradation, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be available.

Copy to:

- Smt. Kanta Jannwal, Investigator Grade-II, Labour Bureau, Chandigarh.
- Pay and Accounts Officer, Labour Bureau, Chandigarh.
- Drawing and Disbursing Officer, Labour Bureau, Chandigarh.
- MTU
- Office Order folder/Personal File/Service Book of the Officer concerned.

(Kailash G. Sharma)
Director(Adm.)

सं. 77/2/2017-प्रशा.1

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

एस. सी. ओ. 28-31, सेक्टर-17ए

चंडीगढ़-160017

दिनांक- 20-11-2019

कार्यालय आदेश सं. 374 सम्बंधित वर्ष 2018

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय जापन सं. 35034/3/2008-Estt.(D) दिनांक 19.05.2009 तथा श्रम ब्यूरो कार्यालय के आदेश सं. 343/2018 दिनांक 17.10.2018 जो कि मिंसिल संख्या 73/03/2013- प्रशा.1 से जारी किया गया था, के अनुपालन करते हुए श्रीमती कान्ता जन्वाल, अन्वेषक श्रेणी-II को तीसरी संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगतन स्कीम दिनांक 01.07.2017 से प्रदान की जाती है। मूल नियम 22(1)(a)(1) के अनुसार श्रीमती कान्ता जन्वाल के वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है-

सं.	नाम और पद	दिनांक जिससे तीसरी MACP दी जाती है	दिनांक जिससे तीसरी MACP के तहत वेतन निर्धारित किया जाता है	स्तर 7 में 31.06.2017 को वेतन मैट्रिक्स में मौजूदा वेतन	तीसरे एमएसपीपी के अनुदान पर अगले स्तर -7 में तय वेतन दिनांक 01.07.2017 से	तीसरे एमएसपीपी के अनुदान पर अगले उच्च स्तर (स्तर -8) में तय वेतन दिनांक 01.07.2017 से	दिनांक	वेतन	टिप्पणी
1.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
1	श्रीमती कान्ता जन्वाल, अन्वेषक श्रेणी-II	01.07.2017	01.07.2017	Rs. 53600/- (Cell-7)	Rs. 55200/- (Cell-8), वार्षिक वृद्धि Rs. 56900/- (Cell-9), MACP वृद्धि	01.07.2017	01.07.2017	Rs. 56900/- (Cell-7)	
						01.01.2018 (वार्षिक वृद्धि)*		Rs. 58600/- (Cell-8)	अगली वृद्धि की तिथि 01.01.2019

* वार्षिक वृद्धि की तारीख व्यय विभाग ओएम संख्या 4-21 / 2017-आईसी / ई.III (ए) दिनांक 31.07.2018 के अनुसार है।

उपरोक्त पुनःनिर्धारण संशोधित वेतन संरचना में यदि कोई वेतन बकाया राशि एवं भत्तों का अधिक भुगतान लेखा परीक्षा (ऑडिट) के अवलोकन/ चुटियां भविष्य में प्रकाश में आती हैं तो वसूली की जायेगी

उनके नियमित प्रचार के समय वेतन का कोई और निर्धारण नहीं होगा यदि यह एमएसपीपीएस / पुनर्गठन / उन्नयन के तहत दिए गए स्तर के समान स्तर पर है। हालांकि, वार्षिक पदोन्नति के समय, यदि यह उन्नयन के तहत उपलब्ध होने की तुलना में उच्च स्तर ले जाने वाला पद होता है, तो कोई वेतन निर्धारण उपलब्ध नहीं होगा और केवल स्तर का अंतर उपलब्ध होगा। अगली वृद्धि की तिथि 01.01.2019 होगी

वितरण-

1. श्रीमती कान्ता जन्वाल, अन्वेषक श्रेणी-II, श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़
2. वेतन और लेखा अधिकारी श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़
3. रोकड़ अनुभाग श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़
4. म. टी यु/व्यक्तिगत फाइल/ कार्यालय आदेश फ़ोल्डर

निदेशक(प्रशा.1)

कैलाश जी शर्मा

01/11/19